न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

अपील संख्या :	1/2024/विभागीय अपील/कनि. सहायक/जिला–जालोर
दायरा दिनांक :	15–03–2024
अपीलार्थी :	प्रेमप्रकाश पुत्र श्री मिश्रीमल जाति दर्जी हाल लिपिक ग्रेड II उपखण्ड (ई.आर.ओ) कार्यालय रानीवाडा प्रतिनियुक्ति तहसील कार्यालय भीनमाल जिला जालोर
दण्डाधिकारी :	जिला कलेक्टर, जालोर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–05–2017 जो जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही के तहत दो वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित करने बाबत्

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमप्रकाश, अपीलाण्ट।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर ।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 16 अप्रैल, 2024

1. यह अपील श्री प्रेमप्रकाश लिपिक ग्रेड II उपखण्ड (ई.आर.ओ) कार्यालय रानीवाडा प्रतिनियुक्ति तहसील कार्यालय भीनमाल जिला जालोर ने जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 02–05–2017 के विरूद्ध राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के रिपोर्ट क्रमांक स्पे–1 दिनांक 22.05.2015 अनुसार श्री प्रेमप्रकाश लिपिक ग्रेड II उप उपंजीयक कार्यालय रामसीन तहसील जसवंतपुरा में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यों के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का कृत्य किया जाने के कारण जिला कलेक्टर, जालोर के आदेश संख्या 2751–57 दिनांक 22.05.2015 को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय तहसील कार्यालय जसवन्तपुरा किया गया एवं जिला कलक्टर, जालोर द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को उक्त कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय संबंधित अभिलेख के साथ सात दिन में भिजवाने हेतु लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी भीनमाल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक स्पे–1 दिनांक 22.05.2015 उप पंजीयक रामसीन को जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांक 2758 दिनांक 22.05.2015 द्वारा श्री प्रेमप्रकाश के विरूद्ध पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाने हेतु लिखा गया। पुलिस थाना रामसीन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52 दिनांक 23.05.2015 दर्ज होकर पुलिस अनुसंधान किया गया एवं एफएसएल की रिपोर्ट आधार पर पुलिस अधीक्षक जालोर ने उक्त कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गई। जिला कलेक्टर जालोर के आदेश संख्या 1722 दिनांक 18.04.2017 को जारी अभियोजन स्वीकृति जरिये पत्रांक 1723–27 दिनांक 18.04.2017 को मय मूल अनुसंधान पत्रावली के साथ भिजवाई गई। श्री प्रेमप्रकाश लिपि ग्रेड II को सीसीए 16 के तहत आरोपित किया जाकर अरोपी पत्र जारी किए गए। जिला कलेक्टर जालोर के आदेश संख्या 491–95 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा आरोपो के संबंध में जांच करने हेतु सीसीए 16(4)(5) के तहत जांच अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

उपखण्ड अधिकारी भीनमाल एवं राजपैरोकार उप पंजीयक रामसीन को नियुक्त कर 30 दिवस में जांच प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए गए।

3. जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक जांच कर ज्ञापन दिनांक 19.06.2015 आरोप पत्र एवं आरोप विवरण जारी किये गये :–

आरोप संख्या 1–

यह कि जिला कलेक्टर जालोर से प्राप्त वाट्सअप संदेश एवं परिवादी जीवाराम पुत्र बाबराराम जाति रेबारी निवासी चान्दुर की शिकायत अनुसार आपने उप पंजियक कार्यालय रामसीन में पंजीयन लिपिक पद पर रहते हुए परिवादी के दस्तावेज पंजीयन बाबत रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 की एक ही नंबर की दो अलग–अलग राशि क्रमांक 1740/– व 7360/– की जारी की, रसीद राशि 7360/– पर आप द्वारा उपपंजीयक रामसीन के जाली हस्ताक्षर करके जारी किया जाना पाया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण आरोप विवरण पत्र में वर्णित है। प्रथम दृष्टया प्राप्त लिखित व मौखिक साक्ष्य व सबूत अनुसार इस हेतु आप द्वारा जानबुझकर की गई धोखाधड़ी एवं लापरवाही हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है एवं दण्ड के भागी है।

आरोप संख्या 2–

यह की उपपंजीयक कार्यालय रामसीन में परिवादी द्वारा पंजीबद्ध करवाये गये दस्तावेज के पृष्ठांकन पर धारा 54 के प्रमाण पत्र के अनुसार भी कमी मुद्रांक व कमी पंजीयन शुल्क की कुल राशि 1740/– ही अंकित है जिसका सम्पूर्ण विवरण आरोप विवरण पत्र में वर्णित है। इस प्रकार प्राप्त लिखित एवं मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी सबूत के आधार पर इस धोखाधडी के मामले में आप प्रथम दृष्टया व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार एवं दण्ड के भागी है।

आरोप संख्या 3–

यह कि आप श्री प्रेमप्रकाश क.लि. ने उपतहसील रामसीन कार्यालय में पद स्थापित रहते अपने पुत्र की जन्म पंजीयन बाबत दिनांक 22.10.2013 को शपथ पत्र पर आज्ञापत्र तत्कालिन उपतहसीलदार (श्री पंकज जैन तहसीलदार जसवंतपुरा) रामसीन के भी जाली हस्ताक्षर स्वयं द्वारा किये गये है। इस प्रकार आपके पद के दुरूपयोग, अनियमितता एवं धोखाधडी का प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर द्वारा आदेश दिनांक 22.05.2015 से आपका निलम्बित किया जाकर आपका मुख्यालय तहसील कार्यालय जसवंतपुरा किया गया है जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार एवं दण्ड के भागी है।

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युतर जिसमें आरोप वार जवाब निम्न प्रकार है–

जवाब आरोप संख्या 1–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: Self Attested

यह है कि परिवादी जीवाराम पुत्र बाबराराम जाति रेबारी निवासी चान्दूर, तहसील जसवन्तपुरा के पंजीयन दस्तावेज बाबत रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 की एक ही नंबर की दो अलग–अलग राशि क्रमांक 1740/– व 7360/– की जारी हुई है। इस संबंध में मूल रूप से मेरे द्वारा रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 राशि 1740/– की जारी की गई थी एवं इसी नंबर की रसीद राशि 7360/– मेरे द्वारा जारी नही गई है। यह परिवादी जीवाराम द्वारा कुटरचित दस्तावेज पेश किया है। जो मुझे हैरान व परेशान करने की नियत से किया गया है जो प्रथम दृष्टया यह आरोप

संभागीय आयुक्त,
पाली

सिद्ध नही होता है क्योंकि मेरे उप तहसील, रामसीन में पंजीयन दस्तावेज के अलावा किसी भी पंजीयन दस्तावेज में इस प्रकार की त्रुटि नही की गई है। एवं न ही पंजीयन करने वाले अन्य परिवादी ने कोई भी मेरे द्वारा सम्पादित दस्तावेजों में कोई शिकायत नही की गई है। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी द्वारा भी सरकार गवाह श्री नाथुसिंह पुत्र धुकसिंह राव, सहायक कर्मचारी श्री पारस कुमार पुत्र मालाराम, जाति भील, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो श्री भगाराम पुत्र चैनाराम, रेबारी, स्टाम्प वेन्डर ने भी अपने बयानों में उक्त रसीद के संबंध में कोई आरोप/प्रत्यारोप नही लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मुझ कार्मिक के बचाव पक्ष के गवाह श्री हंजारीमल पुत्र बाबुलालजी, दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल, श्री रमेश कुमार गोविन्द जी सैन, पाबुराम पुत्र केवारामजी, ने भी अपने बयानों में किसी प्रकार का आरोप कूटरचित के संबंध में नहीं लगाया गया है। इस प्रकार मैं आरोप संख्या 01 के लिये मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ।

जवाब आरोप संख्या 2–

यह कि उप पंजीयन, रामसीन में परिवादी द्वारा पंजीबद्ध करवाये गये दस्तावेज के पृष्ठांकन व धारा 154 के प्रमाण पत्र के अनुसार कमी मुद्रांक व कमी पंजीयन शुल्क रूपयें 1740/– का ही अंकन है। जांच अधिकारी द्वारा मुझे धोखाधडी का जिम्मेवार ठहराया है। इस संबंध में निवेदन है कि पंजीयन दस्तावेज दिनांक 08–01–2015 को पंजीयन हुआ था। पंजीयन सोफ्टवेयर में एक ही नंबर की पंजीयन रसीद दुबारा निकलने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कूटरचित कर बनाई गई रसीद स्कनिंग कर कार्यालय परिसर के बाहर किसी अन्य शख्स ने बनवाई जाकर परिवादी से मिलावट कर यह कूटरचित बनाना बखुबी साबित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुझ कार्मिक द्वारा रूपये 1740/– की रसीद मय दस्तावेज भगाराम, स्टाम्प वेन्डर, रामसीन द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। उसी भगाराम देवासी द्वारा पंजीयनसुदा दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त किया गया था जिससे ऐसा आभास होता है कि उक्त भगाराम स्टाम्प वेन्डर, रॉयलकम्प्यूटर नाम से कम्प्यूटर सिखाने की स्कूल चलाई जा रही है। उसी ने ही ऐसी कूटरचित रसीद बनवाया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है क्योंकि परिवादी जीवाराम देवासी एवं भगाराम देवासी स्टाम्प वेन्डर स्व.जातीय बन्धु है एवं भगाराम स्टाम्प वेन्डर होने के फलस्वरूप कार्यालय में आना जाना होता था। इसका फायदा गलत रूप से उठाकर उप पंजीयक के पद की मोहर लगाकर फर्जी हस्ताक्षर मुझ कार्मिक से विश्वास में लेकर कार्य की अधिकता का फायदा उठाकर मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिये होगें, ताकि इस प्रकरण में मैं दोषी माना जा सकू। यह भी उल्लेखनीय है कि रूपयें 7360/– की राशि दिनांक 08–01–2015 में डॉक्यूमेन्ट सीरियरल नंबर 201500024 नो (09) अंको की है जबकि मूल रसीद राशि 1740/– रूपयें 2015000024 दिनांक 08.01.2015 दस (10) अंको के नंबर अंकित है। मूल रसीद में बेचानकर्ता का नाम हंसाराम तथा खरीददार का नाम जीवाराम चान्दूर अंकित है। कूटरचित दस्तावेज रसीद में 201500024 दिनांक 08.01.2015, 09 अंको की है तथा बेचानकर्ता का नाम हसनाराम एवं खरीददार का नाम जीवाराम अंकित है जिसमें परिवादी द्वारा कूटरचित [illegible] में नाम पर मात्र जीवाराम लिख दिया एवं सीरियरल नंबर में एक [illegible] 0 [illegible] लगाना चूक गया जो मूल रसीद से बिल्कुल ही भिन्न है। अतः [illegible] को आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

जवाब आरोप संख्या 3–

यह कि मुझ कार्मिक द्वारा दिनांक 22.10.2013 को शपथ–पत्र/आज्ञा–पत्र पर तत्कालीन उप तहसीलदार, रामसीन (तहसीलदार, जसवंतपुरा) के जाली हस्ताक्षर कर स्वयं द्वारा किया जाना बताया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा मुझ कार्मिक को दोषी ठहराया

संभागीय आयुक्त,
पाली

गया है। इस संबंध में निवेदन है कि प्रथम तो मेरे द्वारा उक्त तारीख का ऐसा कोई आज्ञा–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिवादी जीवाराम देवासी येन केन प्रकार से मुझ कार्मिक के प्रति द्वेषभावना से ग्रसित होकर शिकायत कर फर्जी हस्ताक्षर साबित करने हेतु समर्थन में आज्ञा–पत्र की छाया प्रति लगाकर पेश की गई है जो किसी भी सूरत में मानने योग्य नही है। जांच अधिकारी द्वारा इस आरोप के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत, रामसीन को तलब न करके इस तथ्य की जांच नही की है कि आज्ञा–पत्र पर मुझ कार्मिक के फर्जी हस्ताक्षर है अथवा नही तथा आज्ञा–पत्र पर तत्कालीन उप तहसीलदार, रामसीन (तहसीलदार, जसवंतपुरा श्री पंकज जैन) से भी इस सबंध में दरियाफ्त नहीं की गई है तथा किसी जांच व आधार के बिना तथ्यों के आरोप साबित किया गया है जो निराधार व बेबुनियाद हैं। मुझ कार्मिक को दोष मुक्त करवाते हुए उचित न्याय प्रदान करावें।

5. जिला कलेक्टर, जालोर ने अपने आदेश में यह तथ्य उल्लेखित किये गये हैं कि अपीलाण्ट पूर्व में उप तहसील कार्यालय रामसीन तहसील जसवंतपुरा में कार्यरत रहने के दौरान दस्तावेज बेचान खातेदारी हक दिनांक 08.01.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6 में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2014001082 पर पंजीबद्ध हुआ है धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र मालियत रूपयें 95962/– मानते हुए देय कमी मुद्रांक शुन्य पर कमी पंजीयन शुल्क 960/– कुल रूपयें 1740/– जरिये रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 जमा किये जाने एवं दस्तावेज को रूपयें 4800 के मुद्राकों पर निष्पादित माना जाता है। उपपंजीयक रामसीन के हस्ताक्षर सहित मोहर अंकित है। कार्यालय से जारी रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 रूपयें 1740/– राशि है प्रस्तुतकर्ता हंसाराम आम्बातारी के नाम से जारी है एवं रसीद जारी कर्ता लिपिक एवं पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर है जिस पर किसी तरह की कोई काटछाट नही है। इसी नंबर की दूसरी रसीद संख्या 2015000021 दिनांक 08.01.2015 रूपयें 7360/– राशि है, जारी की जिसमें प्रस्तुतकर्ता हसनाराम आम्बातरी के नाम से जारी है जिस पर जारीकर्ता लिपिक के हस्ताक्षर है एवं उपपंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर पर दुबारा हस्ताक्षर कर रिकॉर्ड में काटछाट करना व राशि में भी रद्दोबदल किया गया है। मूल राशि 1740/– जो सही एवं दूसरी रसीद की राशि 7360/– की जारी कर उपपंजीयन के हस्ताक्षर के साथ छेडछाड अर्थात फर्जी किए गए है। परिवादी की शिकायत आधार पर आरोपी कार्मिक के विरूद्ध जिला कार्यालय के निर्देशानुसार उपपंजीयन अधिकारी रामसीन ने पुलिस थाना रामसीन में मुकदमा दर्ज करवाया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में भी प्रेमप्रकाश के हस्ताक्षर सही होना पाया गया। उपपंजीयन अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर को माना है। लिहाजा इसी आधार पर आरोपी कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है। तीसरे आरोप को जांच अधिकारी ने प्रमाणित किया जाने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत नही जुटाए तथा ना ही राज पैरोकार ने आज्ञापत्र पर फर्जी हस्ताक्षर को साबित करने में सफलता पाई है। इस प्रकार तीसरे आरोप को प्रमाणित नही पाया तथा आरोपी पर शेष 01, 02 आरोप प्रमाणित पाए गए। उक्त आधार पर जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दो वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–05–2017 पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

6. दौराने सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि मुझ अपीलांट के विरूद्ध परिवादी जीवाराम पुत्र बाबराराम जाति रेबारी निवासी चान्दूर द्वारा रेस्पोडेंट को जरिये वॉट्सएप बताया कि दिनांक 08.

संभागीय आयुक्त,

01.2015 को एक ही नंबर की दो अलग–अलग रसीद क्रमांक 1740/– व 7360/– रूपये की जारी की, रसीद राशि 7360/– रूपये जिस पर मुझ अपीलाण्ट पर उप पंजीयक रामसीन के जाली हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया, किन्तु मेरे द्वारा इस मामले में कोई जालसाझी नहीं की गई है। मुझ अपीलाण्ट के उप पंजीयक कार्यालय रामसीन में पद स्थापन के दौरान मेरे पुत्र के जन्म पंजीयन बाबत् दिनांक 22.10.2013 को शपथ पत्र पर आज्ञा पत्र तत्कालीन उप तहसीलदार (श्री पंकज जैन तहसीलदार जसवन्तपुरा) रामसीन के जाली हस्ताक्षर स्वयं द्वारा करने का आरोप लगाया गया, जो आरोप भी सही नही है। श्री भगाराम स्टाम्प वेण्डर रामसीन को दस्तावेज संख्या 2014001082 में धारा 154 के प्रमाण पत्र अनुसार रूपयें 1740/– की रसीद उसके हस्ताक्षर लेकर सुपुर्द की गई थी। अन्य कुटरचित रसीद संख्या 2014000021 व दस्तावेज सिरीयल नंबर 0 यानि 201400024 लगाया एक शून्य लगाने की चूक से ज्ञाप हुआ कि अपीलाण्ट को साजिश के तहत पंजीयन सॉफ्टवेयर में एक ही नंबर की रसीद दुबारा निकालने का कोई विकल्प नहीं है। झूठा फंसाने हेतु तथाकथित रसीद को स्केन कर उप पंजीयक कार्यालय रामसीन की मोहर लगाकर फर्जी हस्ताक्षर किसी ने किए है, इसमें अपीलाण्ट दोषी नहीं है। परिवादी जीवाराम द्वारा मुझ अपीलाण्ट को हैरान व परेशान करने हेतु कुटरचित दस्तावेज पेश किया गया। उक्त मामले में परिवादी ने मुझ अपीलाण्ट को झूठा फंसाने हेतु आधारहीन एवं झूठी कार्यवाही करवाई गई है।

अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि उपरोक्त मामले में तत्कालीन उप पंजीयक रामसीन श्री भागीरथराम द्वारा मेरे विरूद्ध पुलिस थाना रामसीन में प्राथमिकी संख्या 52/2015 दर्ज करवाई थी। उक्त मामले में अनुसंधान अधिकारी पुलिस थान रामसीन द्वारा मुझ अपीलाण्ट के विरूद्ध चालान संख्या 35/2017 दिनांक 28.04.2017 अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत माननीय न्यायालय भीनमाल में दिनांक 10.01.2018 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल के निर्णय दिनांक 04.10.2023 को मुझ अपीलांट की सम्पूर्ण मामले की नियमानुसार सुनवाई कर समस्त धाराओं यथा 409, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। चूंकि मुझ अपीलाण्ट को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित कर दिये जाने के कारण रेस्पोडेण्ट जिला कलेक्टर जालोर द्वारा आदेश दिनांक 02.05.2017 से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1958 नियम 16 के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोके जाने से दण्डित किए जाने के विरूद्ध माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2023 के अनुसार अपील अपीलाण्ट अंदर मयाद पेश की जा रही है। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध जिला स्तरीय समित की बैठक दिनांक 31–10–2023 के द्वारा नो अपील का निर्णय लिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर मुझ अपीलाण्ट की रोकी गई संचयी प्रभाव की दो वार्षिक वेतन वृद्धिया एवं सभी प्रकार के परिलाभ बहाल किए जाकर मुझ अपीलाण्ट को अनुग्रहित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

7. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से सरकारी [illegible] तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर ने सुनवाई दौरान कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर जालोर के द्वारा जो आदेश दिनांक 02.05.2017 पारित किया गया है, वह अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार होने से अपील अपास्त योग्य है। मात्र अपीलाण्ट को माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल जिला जालोर राजस्थान द्वारा

संभागीय आयुक्त,
पाली

संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा जिला कलक्टर जालोर के पत्रांक वि.का/02/स्था./2015/1411 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली तथा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया है कि अपीलाण्ट प्रेमप्रकाश पुत्र श्री मिश्रीमल ने जैर अपील दिनांक 16–10–2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जबकि अधीनस्थ जिला कलक्टर, जालोर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02–05–2017 को पारित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील लगभग 5 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत 5 मियाद अधिनियम में कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नही किया गया है।

अपीलाण्ट का अपील में मुख्य आधार है कि न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल जिला जालोर राजस्थान के मूल आपराधिक प्रकरण संख्या 264/2018 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2015 पुलिस थाना रामसीन अनवान राजस्थान राज्य बनाम प्रेमप्रकाश निर्णय दिनांक 04–10–2023 के द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया। माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से सही एवं प्रभावी रूप से पैरवी नही की गई है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट श्री प्रेम प्रकाश को संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ, जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 02–05–2017 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ जिला कलक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 02–05–2017 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.19 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested